order Sheet [Contd] प्र0क0 99/17बैल

| te of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of presiding | Signature of Parties or Pleaders where necessa |
|---------------------------------|---|---|
| 11—असवेदक / अ | आरोंपी नीरज की ओर से श्री जी०एस०निगम अधिवक्ता । | |

की दस्तयावी की गयी एवं उसके कथन लिये गये एवं मेडिकल परीक्षण कराया गया । मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कथन लेख कराया गया । जिस पर धारा 376 भा0द0सं0 एवं 3/4 बालकों के लेगिंक अपराध से संरक्षण अधि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया । प्रकरण की विवेचना की गयी ।

आवेदक अधिवक्ता ने मुख्य रूप से व्यक्त किया कि उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया उसे झूटा लिप्त किया गया है ।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । उक्त प्रकरण में अभियोजन के द्वारा संकलित की गयी साक्ष्य जो कि पीडिता घटना के समय नावालिग होना बतायी जा रही है और उसके साथ आरोपी के द्वारा बलात्कार करने के संबंध में आक्षेप लगाया गया है

विचारोपरान्त आवेदक / आरोपी पर लगाये गये आक्षेप एवं प्रकरण के तथ्यों प्रकृति, परिस्थितियों को देखते हुये आवेदक को नियमित जमानत पर छोडा जाना उचित प्रतीत नहीं होता । अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 जा०फो० स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है ।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी वापिस की जाये । परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो ।

ए०एस०जे०गोहद